रजिस्ट्री सं० डी 222 REGISTERED NO. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

प्राधिकार स प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 2, 1972/अग्रहायण 11, 1894

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 2, 1972/AGRAHAYANA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, 21st October, 1972

ORDER

S.O. 3947.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vishnuvardhan Reddy, 3-4-75, Lingampally, Hyderabad, Andhra Pradesh, a contesting candidate for General Election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly from 206. Gagan Mahal constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vishnuvardhan Reddy to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

By order,
[No. AP-IA/206/72.]

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1972

आदेश

का.आ. 3947.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 206-गगन महल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विष्णुवर्धन रेड्डी,3-4-75 लिंगामपल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी-

1	2	3	4	5
	131/132, 152, 153/1, 154/4	0	09	15
	129/130/1,130/3		13	30
	152/153/1,155/4 130/1, 130/2	0	05	43
	153/2, 153/3, 154/2	0	10	01
	कार्टट्रैक	0	01	71
उमरसद	940/2	0	01	22
	940/4	0	04	84
	939/2/3	0	08	53
	938/4	0	02	50
	डी एल बी रोड	0	05	06
	938/1	0	08	50
	935/3	0	04	59
	934/1	0	07	81

COLLECTORATE OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE
(Office of the Collector of Central Excise)

Hyderabad, the 4th March, 1971

(CENTRAL EXCISE)

S.O. 3965.—In exercise of the powers conferred on me under Section 2 (a) of the Produce Cess Act, 1966, and in suppercession of the Notifications Nos. 8/69 CE dated 23-9-69 and 4/70 C.E. dated 20-7-70. I hereby authorise the Central Excise Officers specified in col. 4 of the table hereto annexed. to exercise within their respective jurisdiction powers of the Collector under the Section of the Produce Cess Act, 1966 enumerated in column 2 to the extent given in col. 3 of the said table:

Sl No.	Relevant Section of the produce Cess Act 1966	In regard to	officers of the central excise to whom the powers are delegated
1	2	3	4
1.	7	Furnishing particulars about the mill,	Superintendent Central excise,
2.	8	Submission of monthly returns,	—do—
3.	9 (1) and 9 (2)	Collection of cess	—do—
4.	12(a) (b) & (c)	Recovery of sums due.	—do—
5.	13 (1) & (2)	Power to inspect mills, etc,	Officers not below the rank of inspectors of central excise,
6.	16	Adjudication of offences.	Assistant collector of central excise.
7.	18	Composition of offences	—do

[No 1/71]

M. C. DAS, Collector.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क, कार्यालय समाहर्ता
कार्यालय समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ; हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 4 मार्च, 1971

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

का.आ. 3965.—1966 को उत्पाद उपशुल्क अधिनियम की धारा 2 (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 23-6-69 व 20-7-70 की अधिसूचनाओं सं. 8/69 केन्द्रीय उत्पादन और 4/70 केन्द्रीय उत्पादन, का अधिक्रमण करते हुए, मैं एतद्द्वारा, उपाबन्ध सारिणी के स्तंभ चार में उल्लिखित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में, स्तंभ 2 में बताई गई, 1966 के उत्पाद उपशुल्क, अधिनियम की धारा के अन्तर्गत, उक्त सारणी के स्तंभ 3 में दी गयी सीमाओं तक, समाहर्ता की शक्तियों का प्रयोग प्रधिकृत करता हूं।

क्र० सं०	1966 के केन्द्रीय उत्पाद उपशुल्क अधिनियम की संगत धारा	निम्नांकित बातों के संबंध में	केन्द्रीय उत्पाद के उन अधिकारियों के नाम जिन्हें अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	7	मिल के संबंध में दिया जाने वाला विवरण	अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क
2.	8	मासिक विवरणियों का प्रस्तुतीकरण	यथोपरि
3.	9 (1) और 9 (2)	उपशुल्क एकत्र करना	यथोपरि
4.	12(क) (ख) और (ग)	देय राशि की वसूली	यथोपरि
5	13 (1) और (2)	मिलों का निरीक्षण करने का अधिकार आदि ।	वे अधिकारी जो निरीक्षक से नीचे पद के नहीं हैं ।
6.	16	अपराधों का न्याय निर्णय	सहायक समाहर्ता, केंद्रीय उत्पाद शुल्क
7.	18	अपराधों का प्रशमन	यथोपरि

[सं-1/71]

एम. सी. दास, समाहर्ता

Hyderabad, the 18th November, 1971

S.O. 3966.—It is hereby notified that serial No. 6 in the table annexed to this office Notification (C. EX) No. 1/71 dated 4th March 1971, be deemed, hereinafter, to have been deleted.

[No. 3/71]

S. K. SRIVASTAVA, Collector.

हैदराबाद, 18 नवम्बर, 1971

का.आ. 3966.—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की दिनांक 4 मार्च 1971 की अधिसूचना (कें. उत्पा.) सं. 1/71 के साथ संलग्न सारिणी की क्रम सं. 6 एतत्पश्चात् विलुप्त समझी जाये ।

[सं. 3/71]

एस. के. श्रीवास्तव, समाहर्ता ।

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 2nd November, 1972

S.O. 3967.—WHEREAS the Textiles Committee has established standard specifications and type of inspection for the purpose of export for the material defined in clause (e) of regulation 2 of the Man-made Fibre Fabrics (Inspection) Regulations, 1972;

AND WHEREAS on the recommendation made to it in this behalf by the Textiles Committee, the Central Government is of opinion that the material which does not conform to the standard specifications and type of inspection established by the Textiles Committee should not be exported;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), the Central Government hereby prohibits the export from India to any foreign country of the

material defined in clause (e) of regulation 2 of the said regulations unless the material is covered by a certificate issued by the Officer authorised by the Textiles Committee in this behalf under regulation 11 thereof :

PROVIDED that, not withstanding the above prohibition, if a genuine order is received from abroad for the supply of low quality material which does not pass the minimum inspection standards required for the issue of a certificate and if an Officer authorised by the Textiles Committee in this behalf is satisfied that the bonafides of such orders are beyond doubt, the export of such material may be authorised by him even though the quality of the material is below the minimum inspection standards.

2. This notification shall come into force on the 15th December, 1972.

[No. F. No. 25011(42)/71-Tem A]

T. KHANNA, Dy. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1972

का.आ. 3967.—यत—वस्त्र समीति ने मानव निर्मित तन्तु कपड़ा के (निरीक्षण) विनिमय, 1972 के विनियम 2 के खण्ड (ड.) में परिभाषित सामग्री का निर्यात करने के प्रयोजन के लिए मानक विनिर्देश और निरीक्षण के प्रकार स्थापित किए हैं;

और यतः वस्त्र समीति द्वारा इस निमित्त उसे की गई सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जो सामग्री वस्त्र समीति द्वारा स्थापित मानक विनिर्देशों और निरिक्षण के प्रकार के अनुरूप नहीं हैं, वह निर्यात नहीं की जानी चाहिए;

अतः अब, वस्त्र समीति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विनियम के विनियम 2 के खण्ड (ड.) में परिभाषित सामग्री का भारत से किसी विदेश को निर्यात का एतद्द्वारा तब तक के लिए प्रतिषेध करती है, जब तक वह सामग्री उक्त विनिमय के विनियम 11 के अधीन इस निमित्त वस्त्र समीति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के अन्तर्गत न आती हो :

परन्तु, उपर्युक्त प्रतिषेध के होते हुए भी यदि विदेश से ऐसी निम्न क्वालिटी वाली सामग्री के, जो प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम निरीक्षण मानक की नहीं है, प्रदाय के लिए कोई असली आदेश प्राप्त होता है और यदि इस निमित्त वस्त्र समीति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे आदेशों की वास्तविकता संदेह से परे है तो सामग्री की क्वालिटी, उन न्यूनतम निरीक्षण मानकों से नीचे की होने पर भी ऐसी सामग्री का निर्यात उसके द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

2. यह अधिसूचना 15 दिसम्बर, 1972 को प्रवृत्त होगी ।

[सं. एफ 25011/42/71-टिम-ए.]

टी. खन्ना, उप-सचिव ।

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

New Delhi, the 19th September, 1972

ORDER

S.O. 3968.—M|S. Karnatak Exports Limited, D-402, Defence Colony, New Delhi were granted transfer of Licence No. P|L|268648|C|XX|43|D|33-34 dt. 10-7-72 for Rs. 3,98,199|- under sub-clause 5(3) (i) of Imports (Control) Order 1965 (against REP licence of M|S Gedore Tools (India) Pvt. Ltd., New Delhi) for Col. 4 items against A.111.8 of Volume. II Red Book 1972-73.

The above transferee has filed an affidavit as required under para 318 read with Appendix 8 of Import Trade Hand Book of Rules & Procedure 1972-73 wherein they have stated that Exchange Control copy of licence No. P|L|2686468|C|XX|43|D 33-34 dated 10-7-72 has been lost|misplaced by them without having been utilised at all. They have applied for duplicate copy of the licence for Rs. 3,98,199|-only.

I am satisfied, that the Exchange Control copy of licence No. P|L|2686468 dated 10-7-72 has been lost|misplaced.

Therefore, in exercise of the power confered under subject Clause 9C in the Import Trade Control Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended up to date said Exchange Copy of the licence No.P|L|2686468 dated 10.7.72 is hereby cancelled and for which a duplicate Exchange Control copy of the licence has been applied for.

Duplicate copy of the Exchange Control copy of the Licence No. P/L/2686468 dated 10-7-72 for Rs. 3,98,199/- is being issued separately.

[No. Engg. 10|O.D.71|SC.I|CLA|2385]

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

नयी दिल्ली, 19 सितम्बर, 1972

आदेश

का० आ० 3968—सर्वश्री करनाटक एक्सपोर्ट लि०, डी-402 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली को (सर्वश्री गेडूर टूल्ज (इंडिया) प्रा० लि०, नई दिल्ली के आर० ई० पी लाइसेंस के मद्दे) आयात (नियंत्रण) आदेश 1965 की उप धारा 5(3)(1) के अन्तर्गत 1972-73 के लिए रैड बुक के वा० 2 के ए० 111.8 के सामने कालम 4 की मदों के आयात के लिए 3,98,199 रुपये के लाइसेंस सं० पी०/एल०/2686468/सी/एक्स एक्स/43/डी/33-34 दिनाक 10-7-72 के हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई थी ।

हस्तांतरी ने आयात व्यापार नियम तथा कार्यविधि हेंड बुक 1972-73 की कंडिका 318 जिसे परिशिष्ट 8 के साथ पढ़े के अन्तर्गत अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि लाइसेंस सं० पी०/एल/2686468/सी/एक्सएक्स/43/डी/33-34 दिनांक 10-7-72 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है । उन्होंने 3,98,199 रुपये मात्र के लिए लाइसेंस की अनुलिपि प्रति के लिए आवेदन किया है ।

मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस स० पी०/एल/2686468 दिनांक 10-7-72 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है ।

इसलिए, अद्यतन यथासंशोधित आयात व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 सी के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर लाइसेंस स० पी/एल/2686468 दिनांक 10-7-72 जिसकी अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए आवेदन किया गया है उसकी उपर्युक्त मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

लाइसेंस संख्या पी/एल/2686468 दिनांक 10-7-72 मूल्य 3,98,199 रुपये की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियत्रण प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[स० इर्जा० 10/ओ.डी. 71/एस. सी. I/सी.एल. ए. 2385]

ORDER

S.O. 3969.—M/S. Karnatak Exports Limited, D-402, Defence Colony, New Delhi were granted transfer of licence No. P/L 2686469|C|XX|43|D|33-34 dated 10-7-72 for Rs. 1,74,550/- under sub-clause 5(3) (i) of Import (Control) Order 1865 (against REP licence of M|s. GEDORE TOOLS (INDIA) PVT. LTD., NEW DELHI) for Col. 4 items agaginst A. 111.8 of Volume.II Red Book 1972-73.

The above transferee has filed an affidavit as required under para. 318 read with Appendix 8 of Import Trade Hand Book of Rules and Procedure 72-73 wherein they have stated that Exchang Control Copy of Licence No. P|L|2686469|C|XX|43|D|33-34 dated 10-7-72 has been lost|misplaced by them without having been utilised at all. They have applied for duplicate copy of the licence for Rs. 1,74,550|- only.